(9)

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय,वल्लभ–भवन,भोपाल–462004

क्रमांक एफ–31–10/2014/27–1 भोपाल, दिनांक दिसम्बर 2014

प्रति,

उपाध्यक्ष
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषयः–नर्मदा–मालवा–गंभीर लिंक योजना के निविदा की प्रशासकीय स्वीकृति बावत।
संदर्भः–सचिव, न0नि0मं0का पत्र क्र0 535/48.एस 01/27/न.नि.मं/14 दिनांक 22.11.2014

नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक दिनांक 17/06/2014 में नर्मदा–मालवा लिंक परियोजना की लागत रूपयें ₹ 2143.46 करोड़ (₹ दो हजार एक सौ त्रितालीस करोड़ छियालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। पुनः नर्मदा नियंत्रण मंडल की 48वीं बैठक दिनांक 12/11/2014 द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना की वितरण नहरों के मुहाने पर स्मार्ट प्री–पैड मीटर सम्मिलित किये जाएं। उक्त प्री–पैड मीटर प्रति 40 हेक्टेयर चक पर लगाये जाएं, जिससे योजना के संचालन की लागत की भरपाई हो सके। उक्त प्री–पैड मीटरों की लागत ₹ 3.50 लाख प्रति चक के मान से 50,000 हेक्टेयर के लिये ₹ 43.75 करोड़ जोड़कर तदनुसार प्रशासकीय स्वीकृति को संशोधित कर ₹ 2187.21 करोड (₹ दो हजार एक सौ सत्यासी करोड़ इक्कीस लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना में प्री–पैड मीटरों के कार्य को सम्मिलित करते हुये राशि ₹ 2187.21 करोड (₹ दो हजार एक सौ सत्यासी करोड़ इक्कीस लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ उक्त कार्य पर होने वाले व्यय मांग संख्या 48-4700(80)001-0101-1298 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18-12-14
(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

क्रमांक एफ–31–10/2014/27–1 भोपाल, दिनांक दिसम्बर 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय ,भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. सदस्य अभियांत्रिकी/वित्त/पर्यावरण एवं वन न.घा.वि.प्रा. भोपाल।
5. संभागायुक्त, इन्दौर म0प्र0 ।
6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल ।
7. महालेखाकार मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर।
8. मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजना, इन्दौर।
9. सचिव, नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,, भोपाल ।
10. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास विभाग,भोपाल की ओर उक्त आदेश बेवसाइट पर दर्ज कराने हेतु अग्रेषित।
11. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

18-12-14
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग